राजस्थान उद्योग एवं निवेश संवर्धन नीति–2010

महत्वपूर्ण बिन्दु

राज्य में रोजगार के नये अवसरों का सृजन करने एवं आर्थिक तथा सामाजिक आधारभूत ढ़ांचे में निवेश को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2009–10 के दौरान एक नई औद्योगिक एवं निवेश नीति तैयार करने की घोषणा की गई थी। नई नीति के व्यापक स्वरूप में केवल औद्योगिक निवेश को ही सम्मिलित नहीं किया गया है, अपितु उसके साथ–साथ सेवा क्षेत्र में निवेश को भी ध्यान में रखा गया है।

उपरोक्त नीतिगत पहल का उद्देश्य आन्तरिक और विदेशों से निवेशों के प्रवाह में वृद्धि करने के साथ–साथ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों एवं व्यवसायों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है।

इन नीतिगत उपायों में प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं–

1. उद्योग, व्यवसाय एवं व्यापार के वातावरण में समुचित सुधार

राज्य सरकार उद्योग, व्यवसाय एवं व्यापार के वातावरण में समुचित सुधार करने के लिए कटिबद्ध है। नीतिगत पहल का प्रयोजन उद्योग, व्यवसाय एवं व्यापार के आरम्भन और संचालन की प्रक्रियाओं को सरल बनाना, देरी को कम करना तथा व्यापार की लागत में कमी करना है।

राज्य में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना में लगने वाले समय को कम करने के प्रयोजन से एकल खिड़की प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जायेगा। उद्यमों को एकल बिन्दु मंजूरी सेवाएं प्रदान करने हेतु राजस्थान सिंगल पॉइन्ट एनेबलिंग एक्ट

(RESPECT) को अधिनियमित किया जाएगा। एक सिंगल पॉइन्ट इलेक्ट्रॉनिक निगरानी एवं स्वीकृति व्यवस्था भी स्थापित की जा रही है। अनुकूल वातावरण निर्माण हेतु सरकार ने एक औद्योगिक सलाहकार समिति का गठन करने का भी निर्णय लिया है, जिससे आवश्यकतानुसार प्रक्रिया को और अधिक सरलीकृत एवं युक्तिसंगत बनाया जा सके।

2. उच्च स्तरीय बुनियादी सुविधाओं का विकास

प्रतिस्पर्धी वातावरण में उद्योगों के अस्तित्व को बनाये रखने हेतु उचित बुनियादी ढ़ांचा अतिआवश्यक है। अतः सरकार, सड़कों के निर्माण एवं गुणवत्तापूर्ण नेटवर्क, निर्बाध बिजली की उपलब्धता, पर्याप्त जल, संचार माध्यमों हेतु अधिक रफ्तार से आंकड़े भेजने की सुविधा उपलब्ध कराने को प्रयासरत है।

उच्च स्तर के बुनियादी ढ़ांचे के विकास हेतु सरकार ने बजटीय प्रावधानों के अतिरिक्त निजी निवेशों को भी बढ़ावा देने हेतु एक कानून बनाने का निर्णय लिया है। इस क़ानून के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष औद्योगिक पार्कों की स्थापना, गैस ग्रिड की स्थापना व अन्य आधारभूत सुविधाओं में निजी निवेश को अधिक सुविधाजनक बनाने के प्रयास किये जायेंगे। राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों एवं एजेन्सियों में समन्वय सुनिश्चित कर सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया जायेगा।

राज्य सरकार अतिरिक्त बिजली की उपलब्धता हेतु गैर–पारम्परिक स्रोतों जैसे– बायोमास, पवन और सौर उर्जा द्वारा उत्पादन को प्रोत्साहन हेतु प्रयासरत है।

भारत सरकार की दिल्ली–मुम्बई इन्डस्ट्रीयल कॉरिडोर परियोजना राज्य के लिए समूचित विकास के अवसर खोलेगी। इस हेतु राज्य सरकार भारत सरकार की डी.एम. आई.सी. कम्पनी के साथ मिलकर बुनियादी ढ़ांचे के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाकर इन्हें क्रियान्वित करने का प्रयास कर रही है। इस योजना क्षेत्र में प्रारम्भिक तौर पर शाहजहांपुर, नीमराना, बहरोड़ आदि क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, नॉलेज सिटी एवं एजुकेशन सिटी द्वारा विश्वस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रों व शहरों का निर्माण करने के लिए प्रयासरत है।

3. रोज़गार एवं कौशल स्तर में अभिवृद्धि

विश्वस्तर के उद्योगों की श्रेणी में आने के लिए कुशल मानव संसाधनों का भी विश्व स्तरीय होना आवश्यक है। अतः मानव संसाधन का कौशल स्तर और रोजगार के अवसरों का सृजन करने हेतु, निजी निवेश की भागीदारी से, विभिन्न स्तर की प्रशिक्षण संस्थानों को बढ़ावा दिया जायेगा।

हमारा प्रयास है कि राज्य के प्रत्येक जिले में एक ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाये। इसका प्रबन्धन निजी क्षेत्र के सहयोग द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा।

4. परियोजनाओं हेतु भूमि की आसान उपलब्धता

औद्योगिक एवं आधारभूत सुविधाओं की परियोजनाओं को त्वरित गति प्रदान करने के लिए भूमि की उपलब्धता आसान किये जाने के प्रयास किये जा रहे है। ताकि भू–रूपान्तरण, भू–उपयोग परिवर्तन, नक्शा अनुमोदन आदि की प्रक्रियाओं में कम से कम समय लगे। इस हेतु निष्पक्ष एवं पारदर्शी नीति तैयार की जा रही है, जिसके अन्तर्गत किसानों के हितों की रक्षा कर बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किये जायेंगे। इससे निवेशकों के लिए भूमि बैंक की स्थापना हो सकेगी और निवेश को गति मिलेगी।

5. मध्यम एवं लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन

राज्य के विकास में लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के योगदान को ध्यान में रखते हुए एक एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन नीति 2008 में शुरू की गई थी जिसको आगे भी जारी रखा जाएगा। क्लस्टर विकास का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाएगा जिसमें आधारभूत सुविधाओं का अधिकतम उपयोग हो सके और उत्पाद को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। क्लस्टर विकास में भी निजी निवेश को प्रोत्साहन दिये जाने के प्रयास किये जाएंगे।

6. राज्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रोत्साहन

खनन के क्षेत्र में उन निवेशकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका राज्य में वैल्यू एडिशन अधिकतम होगा ।

राज्य में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर खनन एवं खनिज प्रसंस्करण, आई.टी., पर्यटन, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, कृषि आधारित उद्योगों को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने पहले ही पर्यटन, खनन, आई.टी, क्षेत्रों की विशिष्ट नीतियां जारी कर दी हैं। इन उद्योगों के विकास हेतु आधारभूत सुविधायें बढ़ाने को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही, श्रम आधारित उद्योगों एवं अधिक पिछड़े क्षेत्रों के विकास को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

High lights of Rajasthan Industrial and Investment Promotion Policy, 2010

To generate employment in the State and to encourage investments in financial and social infrastructure, the Government announced the launch of a new Industrial and Investment Promotion Policy while presenting the budget 2009-2010. The broad outlook of the new policy not only focuses on industrial investments but has also aimed at encouraging investment in service sector.

The policy interventions are aimed at enhancing enterprise and sector competitiveness while stimulating a substantial increase in the flow of investment from within India and from abroad.

The highlights of the Policy are:

1. Improving the Business Climate: Government is committed to improving the business climate, to streamline business entry and operation procedures, and to reduce delays and costs of doing business. Effective action would be taken for re-engineering the entire gamut of business regulatory processes, and strengthening the supportive institutional framework strengthening the Single Window System.
Single Window Clearance System would be made more effective to reduce average time required for establishment of units in the State. Rajasthan Enterprises Single Point Enabling and Clearance Act (RESPECT) will be enacted to provide single point services to businesses. A single point electronic monitoring and clearance system is also being set up. It has also been decided to constitute an Udyogik Salahakar Samiti (Industrial Advisory Council) for regular and constant interface with the industry.

2. Developing High Quality Infrastructure: It is proposed to enhance the competitiveness of enterprises in Rajasthan by providing quality network of roads, uninterrupted power availability, adequate water, high speed data transfer connectivity and efficient logistics facilities etc. Apart from the budgetary provisions, an Infrastructure Development Act would be enacted to delineate a legal framework and roadmap for private participation. This Act aims encourage public private partnership to create funds for meeting critical infrastructure needs, augment industrial infrastructure, develop gas grid and logistics parks, etc. To improve the services, co-ordination with sectoral agencies and departments of Government will be made. Rajasthan Government encourages generation and storage of power utilising alternative energy sources like wind, solar, water and biomass.

As a part of key initiatives to achieve sustainable growth of economy, Government of India plans to develop Delhi-Mumbai Industrial Corridor. DMIC presents a major development opportunity for the State. Development of appropriate infrastructure along the DMIC would be key to driving industrial development and growth in the region. Some of the early bird projects identified for development in this region are Shahjahanpur-Neemrana-Behror (SNB) Knowledge City and Greenfield Airport Project.

3. Enhancing Skill Levels and Employability: To be in the league of world-class industries, it is important to have skilled human resources. To improve the skills and employability of the human resource of the State, setting up of different types of training institutes in partnership with private sector will be encouraged. It is our endeavour to set-up a rural development and self-employment training institutes in every district of the State. For this, efforts will be made to organise such institutes with the support of private sector.

4. Easy Availability of Land for Projects: Efforts are being directed to expedite the availability of land for industrial and infrastructural projects. This is being done to simplify the process of work for land use change, conversion of land and approvals of layout/building plans. Impartial and transparent policies are being formulated to protect the interests of the farmers and to provide them with basic facilities. A land back will be created for the investors and this will propel move investments.

5. Focus on MSMEs Growth: Keeping in mind the contribution of Micro, Small and Medium Scale industries in the development of the State, MSME Policy was launched in 2008 and would still continue. The State will accord high priority to cluster based development of MSMEs wherein, usage of infrastructural facilities can be maximised to make the produce competitive for the world market. Efforts will be directed to encourage investments for cluster development.

6. Promotion Of Thrust Areas: In mining sector, preference will be given to those investors who contribute to the value addition of the State the most. According to available infrastructure, mining and mineral processing, IT, tourism, handicrafts, cottage industries and agro-based industries will be specially promoted. For this, the State Government has already issued special policies for tourism, mining and IT sectors. Priority will be given to improve the infrastructural facilities for development of these industries. Besides these, priority will also be given to development of labour based industries and other backward sectors.